

मेन्ड पुजापत - 982 9563404

अनुमति की शर्तें।

- (I) उक्त भवन/भूखण्ड के निर्माण की स्वीकृति स्वामित्व सिद्ध नहीं करती है।
- (II) किसी भी प्रकार का विवाद (न्यायिक, राजकीय, व्यक्तिगत या अन्य) होने की स्थिति में निगम का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा तथा न ही निगम किसी क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होगा।
- (III) भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करते ही आवेदक निगम को सूचित करेगा।
- (IV) स्वीकृत नक्शे के विपरीत निर्माण पाये जाने पर स्वीकृत निरस्त की जा सकती है।

सूक्त्य खिड़की केवल आवासीय प्रयोजनार्थ

कार्यालय नगर निगम, जोधपुर

आवेदन क्रमांक 11 दिनांक 29/04/2019

प्रार्थी श्रीम. नारायण पुजापत S/O श्री दयाराम

ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 P.No: LA/A शितानाडा

धारा 194 (7) (1) के तहत आवासीय

भवन निर्माण हेतु मानचित्र कार्यालय में पेश

कर स्वनिर्धारण राशि रुपये 3,700/- रुपये जमा

जिनके रसीद संख्या 1005/606, 607

दिनांक 24/04/2019 को जमा करा दी है।

यशवन्त

प्रारूपकार
नगर निगम, जोधपुर

पृष्ठ 1

आवासीय

CP
AB
63404